



आजादी का
अमृत महोत्सव

बड़ोदा यू.पी बैंक Baroda U.P. Bank

क्रेत्रीय कार्यालय: 2 A गौतम नगर, आई.टी.आई. रोड

फतेहपुर-212601

सार्वजनिक विकी
नीलामी सूचना/
नीलामी तिथि 29.01.2025
(अचल सम्पत्तियों हेतु)

अचल सम्पत्तियों के लिए सार्वजनिक नीलामी विकी सूचना

वित्तीय आतिथ्यों की प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4)
(सरकारी अधिनियम, 2002) साथ में पठित प्रतिभूति हित (नियमों, 2002 के नियम 6(2) और/या
नियम 8(6) के अधीन नीलामी सूचना)

जैसाकि, उक्त क्षेत्र सरकारी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन और कवित अधिनियम की धारा 13(2) से पठित नियम के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बड़ोदा यू.पी. बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताकारी द्वारा निम्नलिखित खातों में मांग सूचना जारी की जिसमें कर्जदार (रो) और गारंटीदाता (ओ) / बंधककर्ता (ओ) को कवित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर कवित सूचना के अनुसार राशि का मुगलान करने को कहा गया और जैसाकि कर्जदार (रो) / गारंटीदाता (ओ) बंधककर्ता (ओ) / ने राशि का मुगलान नहीं किया और अतः अधोहस्ताकारी ने कवित अधिनियम की धारा 13(4) साथ में पठित नियमों के नियम 4 और / या नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पत्ति / सम्पत्तियों (इसके बाद कवित सम्पत्तियों नाम से निर्दिष्ट का कब्जा ले लिया है जैसा कि अधोहस्ताकारी, सरकारी अधिनियम, 2002) की धारा 13(4)(ए) के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में कवित सम्पत्तियों की विकी द्वारा बैंकों के बकायों की वसूली का प्रस्ताव रखते हैं। एतद्वारा जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रो) और गारंटीदाता (ओ) / बंधककर्ता (ओ) को सूचना दी जाती है कि निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूति लेनदारों के पास बंधक / प्रभारित पड़ी है, जिसका रवानाभाव कब्जा प्राधिकृत अधिकारी, बड़ोदा यू.पी. बैंक, प्रतिभूति लेनदार द्वारा ले लिया गया है, जिसे निम्नांकित बकायों की वसूली है। निम्नांकित सारणी में अविकाशन्वार तिथि को “जैसा है जहां है, जैसा है जो है वही है” और “जो है वही है” अपार पर बेचा जायेगा। जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रो) और गारंटीदाता (ओ) / बंधककर्ता (ओ) को एतद्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने सरकारी अधिनियम 2002 के अधीन निम्नांकित अचल सम्पत्तियों के लिए बोली / निविदाएं / कोटेश्वरा आमंत्रित करने का नियम लिया है। इसलिए, इच्छुक व्यक्तियों / बोलीदाताओं को 29.01.2025 को या उससे पहले, बड़ोदा यू.पी. बैंक, दोत्रीय कार्यालय 2। गौतम नगर, आई.टी.आई. रोड कोटेहपुर-212601 में मुहरबन्द लिफाफे में, निम्नांकित नियम व शर्तों को पूरा करके अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। नियम 30.01.2025 को खोली जायेगी।

बकायेदार का नाम व पता	सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि अधिग्रहण तिथि अधिग्रहण प्रकार	बकाया घनराशि (रु.)	आरक्षित घनराशि अधिग्रहण घनराशि
खाता संख्या : 566904000000052				
अणग्राही—मेसर्स रुट पलोर मिल प्रोप्रेसाइटर श्री राजू लोधी, पता : कासिमपुर बीबीहाट, बिलन्दा, कोटेहपुर-212645	जुजमांग अंराजी 347, छाम-कासिमपुर बीबीहाट, परगांव व	06.03.2017 / 13.09.2024 / ग्रीष्मिक कब्जा	रु. 29,70,130/- दिनांक-20.12.2024 को	आरक्षित घनराशि रु. 27,50,000/- अधिग्रहण घनराशि रु. 2,75,000/-
जमानतकर्ता—1) गजराज पुत्र राजा ग्राम-असवार, पोर्ट-तारापुर, मालवा, कोटेहपुर-212664 2) श्री रामजी पुत्र श्री रामकिशन, ग्राम-गौहारी पोर्ट-सर्कण्डी, कोटेहपुर-212658	तहसील-कोटेहपुर-212601 क्षेत्रफल-715 वर्ग बीटर			

विकी के नियम एवं शर्तेः

- इच्छुक बोलीदाताओं को मुहरबन्द लिफाफे में अपनी बोली जमा करती है। (लिफाफे के क्षेत्र स्पष्टतः और पठनीय बोली कम सं. एवं प्रकाशन की तिथि वर्णित होनी चाहिए)
- बोलीदाताओं को बोली के साथ अधिग्रहण में सुल्तानपुर में देय योग्य एवं प्राधिकृत अधिकारी, बड़ोदा यू.पी. के पक्ष में डीडी / बैंकर्स बैंक के रूप में जमा घरेहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य का 10% जमा / संलग्न करना होगा। सर्वोच्च बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम की नहीं होनी चाहिए) को सफल बोलीदाता के रूप में माना जाएगा और शेष सफल बोलीदाताओं की ईमर्झी एक साप्ताह के अवधि विना किसी व्याज के बापत कर दी जाएगी।
- सफल बोलीदाता को बोली / बैंकर्स बैंक के रूप में उसी दिन बोली रकम (ईमर्झी शामिल रहेगा) का 25% जमा करना होगा और शेष अविकाश रूप से विकी की मूटि के 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तबके द्वारा पूर्ण में जमा की नवी रकम जमा कर दी जाएगी।
- प्राधिकृत अधिकारी विना कोई करने वाले या पूर्ण सूचना दिये बोली / सर्वोच्च बोली को स्वीकार / आरेकार / रद्द / निलम्बित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- प्राधिकृत अधिकारी विना की तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- बोली / विकी बैंक की मूटि के अधीन होगी। सम्पत्ति को “जैसा है, जहां है”, “जैसा है जो कुछ है” और “वह जो कुछ भी है” अपार पर बेचा जा रहा है।
- अगर कोई कर्जदार / गारंटीदाता / बंधककर्ता नीलामी से पहले बैंक को पूर्ण बकाये का मुगलान कर देता है तो नीलामी को रोक दिया जायेगा। दालाकि कर्जदार / गारंटीदाता / बंधककर्ता के पास नीलामी से पूर्ण प्रतिभूति अधिकारों को निर्गत करने का अवधि होगा, जो प्रतिभूतिहित परिवर्तन नियम, 2002 की धारा 13 की उप धारा (8) प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन, संशोधन, नियमों 2002 द्वारा) के अधीन बकायापूर्ण राशि एवं प्रभारों के मुगलान के अधीन होगा।
- यह बोलीदाताओं की एक नात्र विमेदारी है कि वह सम्पत्तियों के संबंध में संतुष्ट एवं पूर्ण हो ते। वे अपराह्न 12:00 बजे से साथ 04:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस पर संबंधित राशि के साथ सेकंड सम्पत्ति को देख / निरीक्षण कर सकते हैं।
- यह विकी नोटिस कर्जदारों / गारंटीकर्ता (ओ) / बंधककर्ता (ओ) के लिए विशेष रूप से उपाय जानता / सर्वसाधारण के लिए सामान्य रूप से है।
- विकी के विभूति नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूति लेनदारों की वेबसाइट पर प्रदान किये गये लिंक या नीलामी विकी की सूचना

सरकारी अधिनियम 2002 के अधीन 30 दिनों की विकी सूचना कर्जदारों / गारंटीकर्ता (ओ) / बंधककर्ता (ओ) को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी से पूर्ण बैंक को उपरोक्त विभिन्न राशि बकाये का मुगलान करें, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बंधक सम्पत्ति को वर्गित तिथि को बैंच दिया जाएगा और अगर कोई अन्य बकाया सेख होगा तो ऐसे उपरिकृत व्याज प्रभारों एवं व्याय के साथ उनसे वसूल किया जाएगा।

तिथि—22.12.2024

स्थान—फतेहपुर

(प्राधिकृत अधिकारी)
मुख्य प्रबंधक, बड़ोदा यू.पी बैंक